IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पाली जिले के पंचायती राज व्यवस्था में महिला राजनीतिक सहभागिता : प्रमुख चुनौतियाँ एवं समाधान

– **वर्षा तिवाड़ी**
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान
अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश : पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान बहुत फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इससे गांव–गांव में महिलाओं का राजनीतिक सहभागिता बढ़ रही है। यह सच्चाई है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। हालांकि, इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायती संस्थानों में महिलाओं का कारगर सहभागिता सुनिश्चित करने में आने वाली तमाम बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिहाज से अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए संस्थागत और प्रशासनिक सुधारों को अमल में लाने और महिला प्रतिनिधियों के कौशल विकास व उनकी क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही महिला प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से जुड़े हर तरह के तथ्यों को जुटाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से न केवल महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढेगी बल्कि चुनावी राजनीति में महिलाओं की बराबरी की सहभागिता सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

संकेताक्षर : पंचायती राज, महिला सहभागिता, चुनौतियाँ, सम्भावनाएँ।

प्रस्तावना

पंचायती राज द्वारा महिला सहभागिता को बढ़ाने की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से सभी स्तर की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत और वर्तमान में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गयी और यह आशा व्यक्त की गयी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होने से न केवल चयनित महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण भारत की आधी आबादी में प्रगति की राह प्रशस्त होगी, सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़िवादी परम्पराएँ टूटेंगी और महिलाओं पर जबरदस्ती आरोपित निर्योग्यताएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी। पंचायती राज व्यवस्था के चलते महिला सशक्तीकरण को भी अत्यधिक बल मिला है और उसी के चलते स्त्रियों की रचनात्मकता भी बढ़ी है। आज ग्रामीण महिला भी समस्त कानूनों को जानने लगी है। वह अपने अधिकारों को जानती है और उनके

लिए लड़ने को भी तत्पर है। साथ ही वह अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण द्वारा महिला सहभागिता की दिशा में प्राप्त उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान, बिहार एवं केरल सहित कुछ अन्य राज्यों ने महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। राजस्थान में जनवरी–फरवरी 2010 में हुए पंचायती राज चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण को क्रियान्वित किया गया।[1]

बलवंत राय मेहता समिति से लेकर 73वें संविधान संशोधन तक विभिन्न समितियों के माध्यम से इन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता के बारे में कई उतार–चढाव देखने को मिलते रहे है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 1957 में प्रस्तुत किया। इस समिति ने महिलाओं व बच्चो से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखने के लिए जिला परिषद मे दो महिलाओं के समावेश की अनुशंसा की थी। ''भारत में महिलाओं की स्थिति'' विषय पर अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने 1974 में अनुशंसा की थी कि ऐसी पंचायतें बनाई जाय, जिसमें केवल महिलाएँ ही हो। 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि जिन दो महिलाओं को सर्वाधिक मत प्राप्त हो उसे जिला परिषद का सदस्य बनाया जाए। कर्नाटक पंचायत अधिनियम में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वैसा ही हिमाचल प्रदेश के पंचायत अधिनियम में व्यवस्था थी। ''नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द विमेन 1988'' ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की। मध्यप्रदेश में 1990 के पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत जनपद व जिला पंचायत में 10 प्रतिशत का प्रावधान था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की बल्कि इसने महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उनकी सहभागिता बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। सर्व विदित है कि संसद ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हरी झंडी दे दी। 73वें संविधान संशोधन से लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने में पाया गया कि महिलाएँ पंचायती राज में चुनकर आई।[2] महिलाओं के लिए पंचायती राज में सीटों को आरक्षित करने के बाद से राजनीतिक तौर पर उनकी सहभागिता बढ़ी है, लेकिन गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए काम करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

पाली जिला राजस्थान के दक्षिण–पश्चिम में $25^0 47'$ उत्तरी अक्षांश एवं $73^0 20'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य समुद्र तल से 212 मी. ऊँचाई पर स्थित है। यह नगर बांडी नदी के किनारे पर स्थित है। पाली दक्षिण में उभरे हुए भू–भाग एवं उत्तर–पूर्व में तलीय भू–भाग पर स्थित है। तलीय भाग से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मे यह बाण्डी नदी का किनारा रहा होगा। यह स्थल शहर को प्राकृतिक रक्षा भी प्रदान करता है। नदी के अस्तित्व ने इसके धार्मिक एवंसांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाया है। जोधपुर से यह दक्षिण–पूर्व में 75 कि.मी.

एंव जयपुर के पश्चिम में लगभग 300 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, तथा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 62, 162 एंव राज्य मार्ग संख्या 67, 13 से जुड़ा हुआ है।[3]

2011 में, पाली की जनसंख्या 2,037,573 थी, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 1,025,422 और 1,012,151 थे। 2001 की जनगणना में, पाली की जनसंख्या 1,820,251 थी, जिसमें पुरुष 918,856 और शेष 901,395 महिलाएँ थीं। पाली जिले की जनसंख्या महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 2.97 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना में, पाली जिले के लिए यह आँकड़ा महाराष्ट्र की जनसंख्या का 3.22 प्रतिशत था।

2001 की तुलना में जनसंख्या में 11.94 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। भारत की पिछली जनगणना 2001 में, पाली जिले की जनसंख्या में 1991 की तुलना में 23.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

2011 में पाली की औसत साक्षरता दर 62.39 थी, जबकि 2001 में यह 62.39 थी। अगर लिंग के आधार पर देखा जाए तो पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 76.81 और 48.01 थी। 2001 की जनगणना के लिए, पाली जिले में यही आंकड़े 72.20 और 36.48 थे। पाली जिले में कुल साक्षर 1,085,693 थे, जिनमें से पुरुष और महिला क्रमशः 667,381 और 418,312 थे। 2001 में, पाली जिले में 806,297 साक्षर थे।
पाली में लिंग अनुपात के मामले में, यह 2001 की जनगणना के 981 के मुकाबले 1000 लड़कों पर 987 था। जनगणना 2011 निदेशालय की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार भारत में औसत राष्ट्रीय लिंग अनुपात 940 है। 2011 की जनगणना में, बाल लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 899 लड़कियाँ है, जबकि 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यह 1000 लड़कों पर 925 लड़कियाँ थी।[4]

अध्ययन का उद्देश्य

- पंचायती राज व्यवस्था के विकास का सैद्धांतिक विवेचन करना।
- राजस्थान में महिला राजनीतिक सहभागिता की स्थिति का विवेचन करना।
- पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महिला राजनीतिक सहभागिता की स्थिति का विवेचन करना।
- प्रदेश की राजनीति विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महिला सहभागिता एवं महिला विकास के अंतःसम्बन्ध का विवेचन करना।
- ग्रामीण विकास की नीतियों,योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संदर्भ में महिला नेतृत्व की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- महिला राजनीतिक सहभागिता के समक्ष उपस्थित बाधाओं/चुनौतियों का चित्रण एवं तद्विषयक समाधान/सुझाव प्रस्तुत करना।

पाली जिला के पंचायती राज में महिला सहभागिता

राजस्थान प्रदेश के पंचायतीराज चुनाव 2020–21 में पाली जिले की कुल 341 ग्राम पंचायतो में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतो की संख्या 171 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 91, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 32, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 15 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतो की संख्या 33 रही। पंचायत आम चुनाव में 2020–21 में राजस्थान प्रदेश पाली जिले की कुल 341 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला सरपचों की संख्या 179 रही। जिसमें सामान्य वर्ग से 47, अनुसूचित जाति से 38, अनुसूचित जनजाति से 19 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 75 महिला सरपंच निर्वाचित हुई।

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व का सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज के प्रत्येक स्तर के कुल स्थानों में एक तिहाई स्थानों पर महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था नही बल्कि महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना को पूर्ण करने का स्थानीय प्रयास है जो विकास की द्वि–मार्गीय प्रक्रिया पर आधारित है। अर्थात महिला सशक्तिकरण का प्रश्न सिर्फ इस पक्ष से सम्बन्धित नही है कि महिलाऐं स्वयं अपनी समस्याओं के प्रति जागरुक हो बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि विकास में उनकी पूर्ण भागीदारी हो। महिला लाभार्थी ही नही बल्कि उनकी भूमिका निर्णायक भी हो। पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता में संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि हुई है। अब महिला प्रतिनिधि औपचारिक प्रतिनिधि नही है बल्कि वे अपने दायित्वों का सफल निर्वाह कर रही है।

सारणी – 1

क्र.सं.	पंचायत समिति	कुल ग्राम पंचायत
1.	बाली	47
2.	देसुरी	24
3.	जैतारण	38
4.	मारवाड़ जंक्षन	48
5.	पाली	24
6.	रायपुर	40
7.	रानी	29
8.	रोहत	23
9.	सोजत	38
10.	सुमेरपुर	30
	कुल	**341**

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की त्रि–स्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण स्वशासन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में विभाजित है तथा शहरी स्वशासन नगर पालिका नगर, परिषद नगर, निगम–निगम में विभाजित है। इनके विभाजन का आधार जनसंख्या है।

सारणी – 2

पाली जिला में ग्राम पंचायत चुनाव 2020–2021 में श्रेणीवार निर्वाचित पुरुष एवं महिला सरपंचों की स्थिति[5]

		पुरूष				महिला			
पंचायत समिति	ग्राम पंचायतें	जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी	जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी
बाली	47	3	6	3	7	5	6	4	13
देसुरी	24	0	7	3	2	4	4	3	1
जैतारण	38	6	7	4	0	4	11	6	0
मारवाड़ जंक्षन	48	6	11	5	1	8	10	6	1
पाली	24	3	6	2	1	4	4	3	1
रायपुर	40	3	13	3	0	3	14	4	0
रानी	29	5	6	3	1	3	8	3	0
रोहत	23	2	5	3	1	6	4	2	0
सोजत	38	6	8	5	0	5	10	4	0
सुमेरपुर	30	3	5	3	4	5	4	3	3
कुल	**341**	**37**	**74**	**34**	**17**	**47**	**75**	**38**	**19**

स्रोत : ग्राम पंचायत चुनाव 2021, प्रथम भाग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

प्रस्तुत सारणी 1.1 के अनुसार पाली जिला में ग्राम पंचायत चुनाव 2020–21 (सरपंच) के कुल 341 ग्राम पंचायतों में पुरूष वर्ग के जनरल से 37, एससी से 74, एसटी से 34, ओबीसी से 17 संरपच निर्वाचित हुए। जबकि महिला वर्ग से जनरल से 47, एससी से 75, एसटी से 38, ओबीसी से 19 संरपच निर्वाचित हुई।

सारणी – 3

पाली जिला में पंचायत समिति चुनाव 2020–2021 में श्रेणीवार निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में पुरुष एवं महिलाओं की स्थिति[6]

		पुरूष				महिला			
पंचायत समिति	कुल वार्ड	जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी	जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी
बाली	23	5	2	2	3	5	1	2	3
देसुरी	15	3	2	2	0	5	1	1	1
जैतारण	23	1	7	4	0	2	6	3	0
मारवाड़ जं.	25	2	7	3	0	3	6	3	1
पाली	15	3	1	1	0	0	7	2	1
रायपुर	21	2	6	2	0	3	7	1	0
रानी	15	2	2	2	0	6	1	1	1
रोहत	15	0	6	2	0	2	3	1	1
सोजत	21	3	5	1	0	2	6	4	0
सुमेरपुर	19	2	2	1	2	5	3	3	1
कुल	**192**	**23**	**40**	**20**	**5**	**33**	**41**	**21**	**9**

स्रोत : ग्राम पंचायत चुनाव 2020–2021, द्वितीय भाग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

प्रस्तुत सारणी सांख्या 1.2 के अनुसार सीकर जिला में पंचायत समिति चुनाव 2020–21 के कुल 192 वार्डों में पुरूष वर्ग के जनरल से 23, एससी से 40, एसटी से 20, ओबीसी से 5 निर्वाचित हुए। जबकि महिला वर्ग से जनरल से 33, एससी से 41, एसटी से 21, ओबीसी से 9 निर्वाचित हुई।

सारणी – 4

पाली जिला में जिला परिषद चुनाव 2020–21 में श्रेणीवार निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों में पुरुष एवं महिलाओं की स्थिति [7]

	पुरूष					महिला				
कुल क्षेत्र	जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल
33	2	5	4	2	13	10	6	3	1	20

स्रोत : जिला परिषद चुनाव 2020–21 (जिला परिषद), राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

इस प्रकार पंचायतीराज चुनाव 2020–21 में पाली जिले की कुल 341 ग्राम पंचायतो में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतो की संख्या 171 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 91, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 32, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 15 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतो की संख्या 33 रही। पंचायत आम चुनाव में 2020–21 में राजस्थान प्रदेश पाली जिले की कुल 341 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला सरपचों की संख्या

179 रही। जिसमें सामान्य वर्ग से 47, अनुसूचित जाति से 38, अनुसूचित जनजाति से 19 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 75 महिला सरपंच निर्वाचित हुई।

इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था नही बल्कि महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना को पूर्ण करने का स्थानीय प्रयास है जो विकास की द्वि–मार्गीय प्रक्रिया पर आधारित है। अर्थात् महिला सशक्तिकरण का प्रश्न सिर्फ इस पक्ष से सम्बन्धित नही है कि महिलाऐं स्वयं अपनी समस्याओं के प्रति जागरुक हो बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि विकास में उनकी पूर्ण भागीदारी हो। महिला लाभार्थी ही नही बल्कि उनकी भूमिका निर्णायक भी हो। पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता में संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि हुई है।

पंचायती राज में महिला सहभागिता के समक्ष चुनौतियाँ

- **आरक्षित सीटों का बदलाव** : कई महिलाओं ने हर पांच साल में आरक्षित सीटों को बदलने की नीति को एक बड़ी चुनौती बताया है। हालांकि, हर पांच साल में आरक्षित सीटों को बदल देने का मकसद समाज में हाशिए पर पड़े समुदाओं और लोगों को राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनाना है। लेकिन हर चुनाव में आरक्षित सीटों को बदल देने का एक दुष्प्रभाव यह भी है कि महिला उम्मीदवार एक कार्यकाल पूरा करने के बाद उसी सीट से दूसरे कार्यकाल के लिए चुनकर नहीं आ सकती है और पहले कार्यकाल में हासिल किए गए अपने अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर सकती है।[8]
- **महिलाओं को लेकर लैंगिक पूर्वाग्रह** : महिला सशक्तीकरण के इतने प्रयासों के बावजूद महिलाओं को लैंगिक आधार पर भेदभाव का सामना पड़ता है। अधिकतर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुसार उन्हें लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और एक महिला होने के नाते वे पंचायत में खुद को अलग–थलग महसूस करती हैं। पंचायत सेक्रेटरी और दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर जो कि प्रशासनिक भूमिकाओं वाले पद होते हैं, उन पर अधिकतर पुरुषों प्रतिनिधियों का ही कब्जा होता है। इसके अलावा राजनीतिक अनुभव की कमी की वजह से पहली बार चुनाव जीतने वाली ज्यादातर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को ब्लॉक के अफसरों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करने में दिक्कत होती है।[9]
- **महिलाओं में डिजिटल साक्षरता की कमी** : जाहिर है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की डिजिटल संसाधानों तक पहुंच और समझ कम है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में तो महिलाओं की डिजिटल समझ बेहद कम है, जो कि महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज में रुकावट डालने का काम करती है। वर्तमान दौर में देश भर में सरकारी कामकाज में डिजटलीकरण बढ़ा है और ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तर पर लोकल गवर्नमेंट्स द्वारा सार्वजनिक सेवाओं को जन–जन तक पहुंचाने के लिए एवं उनकी शिकायतों का समाधान तलाशने में तेजी से डिजिटलीकरण अपनाया जा रहा है। बिहार में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ 63 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पास फोन था और उनमें से केवल 24 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों के पास स्मार्टफोन था। देखा जाए तो पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने में कम डिजिटल साक्षरता एक बड़ी बाधा बनी हुई है।[10]

- **दो बच्चों का मानदंड और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :** भारत में कुछ राज्य, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा श्दो–बच्चोंश के मानदंड का पालन किया जाता है। यानी इन राज्यों में दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों के इस कानूनी प्रावधान को मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की है। ये सभी नीतियां जाने–अनजाने में महिलाओं के राजनीति में प्रवेश में रुकावट पैदा करती हैं, क्योंकि अक्सर गांवों में महिलाएं अधिक पढ़ी–लिखी नहीं होती है, साथ ही परिवार नियोजन में उनकी भूमिका सीमित होती है। महिला नेताओं की ओर से ऐसे प्रावधानों पर चिंता जताते हुए इनका विरोध किया गया है। जाहिर है कि ऐसे प्रावधान पंचायत स्तर महिलाओं के राजनीति में उतरने में अवरोध पैदा करते हैं।[11]

पंचायती राज में महिला सहभागिता बढ़ाने हेतु समाधान

पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें अरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, तब से गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों में न सिर्फ महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हुई है, बल्कि वे विकास कार्यों में अपना योगदान भी दे पा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरक्षण मिलने मात्र से महिलाओं के लिए सबकुछ ठीक हो गया है। सच्चाई यह है कि पंचायतों में चुनी जाने वाली महिला प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के दौरान तमाम चुनौतियों का भी सामना पड़ता है। ऐसे में संस्थागत सुधारों के जरिए, क्षमता निर्माण पर ध्यान देकर और सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किए जाने की जरूरत है। स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें बेहद महत्वपूर्ण हैं–

- **महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों मे बढ़ोतरी :** स्पष्ट है कि अगर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगी, तो वे पंचायत के कामकाज को संचालित करने में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को अपने बलबूते संभाल सकेंगी। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सिविल सोसाइटी के संगठनों के सहयोग से नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सकारात्मक असर देखने को मिला है। हालांकि, इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को थोड़े–थोड़ समय के बाद आयोजित करते रहना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पंचायत के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की डिजिटल समझ–बूझ को निखारने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि महिला प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से बोलने में झिझकती हैं और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में महिलाओं द्वारा कम सवाल पूछे जाते हैं।[12]
- स्वयं सहायता समूहों के साथ मेलजोल को बढ़ावा देना : भारत के तकरीबन सभी राज्यों में देखा जाता है कि पंचायत के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के कामकाज में हाथ बंटाने और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचाने में महिला स्वयं सहायता समूह मदद करते हैं। जाहिर है कि पंचायत का चुनाव लड़ने वाली तमाम महिलाएं ऐसी हैं, जो किसी न किसी स्वयं सहायता

समूह से जुड़ी होती हैं। वर्ष 2021 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भ्ळे के साथ काम कर चुकी महिलाएं राजनीति में आने पर अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा प्रभावी तरीके से संभालती हैं। इसकी वजह है कि स्वयं सहायता समूह में कार्य करने के दौरान उन्हें एक बड़े नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलता है और उनमें मिलजुल कर कार्य करने की योग्यता विकसित होती है, जिससे उन्हें लोगों के बीच जाकर काम करने का अच्छा–खासा अनुभव प्राप्त होता है।[13]

- **संस्थागत सुधार लागू करना :** पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों से संबंधित आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि आम तौर पर महिला प्रतिनिधि की आर्थिक स्थिति पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में कमजोर होती है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर और पंचायत सदस्य के तौर पर, दोनों की स्थितियों में आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाली महिलाएं आर्थिक दिक्कतों में घिरी होती हैं।[14]
- **महिला प्रतिनिधियों से जुड़े सटीक आंकड़ों की आवश्यकता :** ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के जुड़े आकंड़ों की बात की जाए तो, फिलहाल राज्यों के स्तर पर मैक्रो डेटा उपलब्ध हैं, जिनसे व्यापक रुझानों का ही पता चलता है। लेकिन कई जिलों और क्षेत्रों में प्रासंगिक ताजा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाती है। देश में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को लेकर व्यापक स्तर पर अलग–अलग आंकड़ों की उपलब्धता बेहद अहम हैं। व्यापक स्तर पर उपलब्ध ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण करके ही पूरे भारत में पंचायत की राजनीति में महिलाओं के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर की राजनीति में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व में अवरोध पैदा करने वाली संस्थागत बाधाओं का समाधान तलाशने और इसके लिए नीतियां बनाने में भी ये सूक्ष्म आंकड़ें बेहद कारगर सिद्ध होंगे।

निष्कर्षतः स्थानीय शासन, सतत विकास और लैंगिक समानता के बीच निर्वाचित महिला प्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यह अलग बात है कि लोकल गवर्नेंस में महिलाओं के योगदान को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जितना दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत आलेख में '' पाली जिले के पंचायती राज व्यवस्था में महिला राजनीतिक सहभागिता : प्रमुख चुनौतियाँ एवं समाधान'' में महिलाओं की सहभागिता और उनके लगातार बढ़ते प्रतिनिधित्व का आकलन किया गया है। इसके अलावा महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने की राह में आने वाली चुनौतियों का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही इस आलेख में स्थानीय लोकतांत्रिक सरकार में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करने के संभावित सम्भावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।

संदर्भ

1 कटारिया, सुरेन्द्र, ''ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज'', आर.बी.एस. पब्लिशर्स, जयपुर, 2010, पृ. 12

2 प्रभु, आर. के., ''पंचायती राज'', नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद, 2014, पृ. 85

3 पाली मास्टर प्लान 2020–2035, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, पृ. 15

4 ीजजचेरूध्ण्बमदेने2011ण्बवण्पदध्बमदेनेध्कपेजतपबजध443.चंसपणीजउस

5 ग्राम पंचायत चुनाव 2020–2021, प्रथम भाग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर, वेबसाईट ूपेमबण्तंरेंजींदण्हवअण्पद से साभार

6 ग्राम पंचायत चुनाव 2020–2021, द्वितीय भाग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर, वेबसाईट ूपेमबण्तंरेंजींदण्हवअण्पद से साभार

7 जिला परिषद चनुाव रिपोर्ट 2020–21 (जिला परिषद), राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर वेबसाईट ूपेमबण्तंरेंजींदण्हवअण्पद से साभार

8 नूपुर तिवारी, "पंचायतों में आरक्षण की रोटेशन अवधि पर पुनर्विचार", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 31 जनवरी, 2009

9 विधात्री राव. "सरपंच पतिरू महिला आरक्षण के छोटे कदम और बड़ी छलांग," द इंडियन एक्सप्रेस, 11 अगस्त, 2022

10 नीता हार्डिकर, "पंचायत चुनावों में सफल होने के लिए महिलाओं को क्या चाहिए," इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू, 5 दिसंबर, 2023

11 "सरकार हमें शिक्षा की कमी के लिए दंडित नहीं कर सकतीरू हरियाणा के नए मतदान कानून पर महिलाएँ," द हिंदू, 8 अक्टूबर, 2015

12 नंदिनी प्रसाद, "पंचायतों में महिलाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताएं : एक अवलोकन," यूनेस्को, 1998

13 सोलेदाद आर्टिज प्रिलमन, "संख्या में ताकत : कैसे महिला समूह भारत के राजनीतिक लैंगिक अंतर को पाटते हैं," अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस 67, अंक 2 (14 सितंबर, 2021)

14 पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व : छह राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश) का विश्लेषण," कुरूक्षेत्र, नवंबर 2019

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation